न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 287 / 2018   अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जुगतीदान पुत्र भीखदान 2. सायरकंवर पत्नी जुगतीदान जाति चारण, निवासी रतकोड़िया तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. सूरजकंवर पत्नी गैनसिंह 3. सायरकंवर पत्नी दुर्जनसिंह जाति राजपुत, निवासी बाड़मेर आगोर हाल निवासी रतकोड़िया तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. नारायणसिंह पुत्र उमसिंह जाति राजपुत, निवासी ओला (पोकरण) हाल निवासी रतकोड़िया तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला-बाड़मेर

—:: आदेश ::—

दिनांक : 09.02.2026

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा रतकोड़िया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 136/24 रकबा 127.08 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई भूमि खसरा नम्बर 243/24 रकबा 01.00 बीघा तथा इससे आगे विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 59.00 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 24 के विभक्त खसरा नम्बर है। उक्त विवादित आराजी में समर्पित भूमि का राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की गलत तरमीम प्रार्थीगण की खातेदारी में कर दी गई, जिसे मौके पर लट्ठा नक्शा में प्रार्थीगण का रकबा कम हो गया है। उक्त गलत तरमीम के आधार पर वर्तमान में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए खसरा नम्बर 24 में से नये सिरे से तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामि[illegible] वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिप[illegible] तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच [illegible] गई, जिसमें समर्पण की भूमि के संबंध में नामांतरकण की पुश्त [illegible] अंकित तरमीम व लट्ठा [illegible] में दर्ज तरमीम सही है परन्तु ऑनलाईन करते समय सहवन से सामने वाले खसरा नम्बर 136/24 की तरफ कर दी गई है, जो त्रूटिपूर्ण है। मौके पर कब्जा काश्त लट्ठा नक्शा में दर्ज तरमीम अनुसार ही है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट लट्ठा नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 10:14:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी में विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट लट्ठा नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर खसरा नम्बर 24 में से नये सिरे से तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें समर्पण की भूमि के संबंध में नामांतरकण की पुश्त पर अंकित तरमीम व लट्ठा नक्शा में दर्ज तरमीम सही है परन्तु ऑनलाईन करते समय सहवन से सामने वाले खसरा नम्बर 136/24 की तरफ कर दी गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। मौके पर कब्जा काश्त लट्ठा नक्शा में दर्ज तरमीम अनुसार ही है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट लट्ठा नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट लट्ठा नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त व लट्ठा नक्शा अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रतकोड़िया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 136/24 रकबा 127.08 बीघा एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई भूमि खसरा नम्बर 243/24 रकबा 01.00 बीघा तथा इससे आगे विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 59.00 बीघा भूमि की वर्तमान में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न परिशिष्ट लट्ठा नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट लट्ठा नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 09.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 10:14:22 IST
Reason: SelfAttested